मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत पंजीकृत समिति

Madhya Pradesh State Skill Development Mission (MPSSDM)
Regd. Society under Deptt. of Technical Education & Skill Development, GoMP

क्रमाँक/एमपीएसएसडीएम/मु.मं.योजनायें/2017/1105 /भोपाल, दिनांक 26-5-17

प्रति,

समस्त कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
मध्यप्रदेश शासन

विषयः मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के अंतर्गत **ऑनलाइन पंजीयन** बावत्।

विषयांतर्गत मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का शुभारंभ दिनांक 11 मई 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत 4.50 लाख युवक–युवतियों का प्रशिक्षण वर्ष 2017–18 में किया जाना है। योजनाओं के प्रभावी मोबिलाइजेशन एवं ऑनलाइन पंजीयन हेतु समस्त शासकीय आईटीआई में हेल्पडेस्क बनाई गई है।

इन योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन हेतु आधार नंबर होना अनिवार्य है। कोई भी आवेदक जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक है और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने का इच्छुक है, योजना अंतर्गत पंजीयन करा सकता है। पंजीयन के प्रारंभिक चरण (11 मई 2017 से 30 जून 2017) में राज्य स्तरीय पंजीयन का लक्ष्य 5 लाख युवा रखा गया है जिसकी जिलावार सूची दिनांक 26.05.2017 तक की प्रगति के साथ **परिशिष्ट 1** पर संलग्न है।

पंजीयन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही आपसे अपेक्षित है–

- कन्वर्जेंस – समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन करना। समस्त लाइन डिपार्टमेंट के मैदानी अमले का उपयोग करते हुये योजनाओं का वृहद प्रचार–प्रसार करना। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले का उपयोग किया जाना।
- जिले की प्रत्येक जनपद पंचायत कार्यालय में आईटीआई में स्थापित हेल्पडेस्क की तर्ज पर हेल्पडेस्क की स्थापना।
- दूरस्थ क्षेत्रों में पंजीयन की उपलब्ध व्यवस्था को देखते हुये हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल में हेल्पडेस्क की स्थापना।
- हेल्पडेस्क के मापदण्ड – एक डेस्कटॉप/लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी एवं एक मॉर्फो बायोमैट्रिक डिवाइस (आवेदकों के आधार सत्यापन हेतु)। इसके अतिरिक्त हेल्पडेस्क में स्वीकृत योजनाओं से संबंधित **"पंजीकरण कैसे करें" (परिशिष्ट 2)** पैम्फलेट एवं **मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना (परिशिष्ट 3)** एवं **मुख्यमंत्री कौशल्या योजना (परिशिष्ट 4)** के पैम्फलेट उपलब्ध रहना। हेल्पडेस्क स्थापना के मानक मापदण्ड की प्रति **परिशिष्ट 5** पर संलग्न है।
- योजनाओं में प्रभावी पंजीयन हेतु कौशल मेलों का आयोजन। इस बावत् जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारों का चयन किया जाना।
- स्थानीय मीडिया जिसकी पहुंच जिले के दूरस्थ स्थानों तक हो का प्रभावी रूप से उपयोग करना।

यहां यह उल्लेखनीय है कि विश्व कौशल दिवस दिनांक **15 जुलाई 2017** को भोपाल में **मुख्यमंत्री कौशल** उत्कृष्टता **पुरस्कार** दिया जाना प्रस्तावित है। जिसके नामांकन के मूल्यांकन का मुख्य घटक मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना में पंजीयन है। इस पुरस्कार की विस्तृत जानकारी पृथक से भेजी जायेगी।

संलग्न— उपरोक्तानुसार।

26.5.17

(संजीव सिंह)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमाँक/एमपीएसएसडीएम/मु.मं.योजनायें/2017/ 1106 /भोपाल, दिनांक 26-5-17
प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र. को कृपया सूचनार्थ।
2. समस्त संयुक्त संचालक, कौशल विकास, मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
3. समस्त नोडल आईटीआई प्राचार्य को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

26.5.17

(संजीव सिंह)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,
भोपाल, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत पंजीकृत समिति

Madhya Pradesh State Skill Development Mission (MPSSDM)
Regd. Society under Deptt. of Technical Education & Skill Development, GoMP

क्रमॉक / एमपीएसएसडीएम / मु.मं.योजनायें / 2017 / 08 / 1138 / भोपाल, दिनांक 27.5.17

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश शासन

विषयः मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजना हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला बावत्।

संदर्भः क्रमॉक / एमपीएसएसडीएम / मु.मं.योजनायं / 2017 / 1105 / भोपाल, दिनांक 26.05.2017

विषयांतर्गत लघु अवधि कौशल उन्नयन एवं विकास की योजनायें यथा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल्या योजनाओं के वृहद प्रचार–प्रसार एवं सफल कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर व्यापक मोबिलाइजेशन तथा ऑनलाइन पंजीयन आवश्यक है। इस कार्य के लिये प्रत्येक जिले में विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट के मैदानी अमले का सहयोग एवं समन्वय आपके मार्गदर्शन में आवश्यक है। उपरोक्त योजनाओं में जिला स्तरीय "कन्वर्जेंस" हेतु समस्त भागीदारों हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाना प्रस्तावित है।

आपसे अनुरोध है कि दिनांक 29.05.2017 से 03.06.2017 के मध्य अपनी सुविधानुसार कार्यशाला आयोजित करने का कष्ट करें। कार्यशाला में विस्तृत प्रस्तुतीकरण हेतु एमपीएसएसडीएम के स्टेट लेवल मॉनीटर अथवा प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

संलग्न– स्टेट लेवल मॉनीटर की सूची।

27.5.17

(संजीव सिंह)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमॉक / एमपीएसएसडीएम / मु.मं.योजनायें / 2017 / 1139 / भोपाल, दिनांक 27/5/2017
प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, म.प्र. को कृपया सूचनार्थ।

27.5.17

(संजीव सिंह)IAS
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन,
भोपाल, मध्यप्रदेश

गैस राहत आईटीआई भवन, गोविंदपुरा, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.), पिन - 462023
दूरभाष - 0755-2581138, 4045448, फैक्स - 0755-2581138